[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन
*****

अधिसूचना सं. 16 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 01 जुलाई, 2022

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में संशोधन–अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी और ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैः

1. राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 37/2022 सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2022 में यथा प्रदत्त एफटीपी 2015–20 के पैरा 4.14 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

2. राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 37/2022 सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2022 में यथा प्रदत्त एफटीपी 2015–20 के पैरा 5.01 (क) के अनुसार ईपीसीजी स्कीम के तहत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

3. राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 37/2022 सीमाशुल्क दिनांक 30 जून, 2022 में यथा प्रदत्त एफटीपी 2015–20 के पैरा 6.01(घ)(ii) के अनुसार ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

इस अधिसूचना का प्रभावः एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करने के लिए पैरा 4.14, पैरा 5.01 (क) और 6.01(घ)(ii) को उपरोक्त रुप में संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
1.7.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/94/180/373/एएम18/पीसी–4 से जारी)